

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग  
अधिसूचना

पटना, दिनांक- 9/6/08

सचिका सं० 17/ए-1-38/98 725(17) / स्वा० विभाग के अन्तर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के फार्माकोलॉजी विभाग के निम्नांकित कार्यकारी / सेवानिवृत्त व्यवस्थान्तर्गत कार्यरत सहायक प्राध्यापकों को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में स्तम्भ-3 में अंकित तिथि से कार्यकारी व्यवस्थान्तर्गत दी गयी प्रोन्नति को विनियमित किया जाता है:-

क्र०	चिकित्सक शिक्षक का नाम	सह प्रा० के पद पर नियमित प्रोन्नति की तिथि
1	2	3
1	डा० अनिल कुमार	कार्यकारी सह-प्रा० में योगदान की तिथि से
2	डा० विजय कुमार मिश्रा	"
3	डा० अनिता वर्मा	"
4	डा० दीपक कुमार	"

\* अधिसूचना में वर्णित क्रमांक वरीयता के द्योतक नहीं है ।

\* योगदान के तिथि में भिन्नता अथवा अन्य कोई त्रुटि पाये जाने पर प्रोन्नति / नियमितकरण आदेश तदनुसार प्रभावित होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

9/6/08  
(जमीरुद्दीन अंसारी)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापक- 17/ए-1-38/98 725(17) /पटना, दिनांक- 9/6/08

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार पदाधिकारी / वित्त विभाग, पटना / संबंधित प्राचार्य / अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/ संबंधित चिकित्सक शिक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव, स्वा० विभाग के सचिव//अपर आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक / संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक / प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

9/6/08  
सरकार के संयुक्त सचिव ।